राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांकः– एफ–7(272)रालसा/जे.एस./एक्टी0–ना.मॉ.स्कीम/2018/1433-1467 दिनांकः– 10.04.2018

प्रेषिति :–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
समस्त राजस्थान।

विषय :– नालसा (विधिक सेवा शिविर) मॉडल स्कीम के तहत विधिक सेवा शिविर आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग :– नाल्सा, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक एल/31/2018/नाल्सा दिनांक 08.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि नाल्सा, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र दिनांक 08.01.2018 द्वारा निर्देशित नाल्सा (विधिक सेवा शिविर) मॉडल स्कीम के तहत् **विधिक सेवा शिविरों का आयोजन अब राल्सा द्वारा निर्देशित मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना के स्थान पर विधिक सेवा शिविर के नाम से बड़े स्तर पर आयोजित किये जावें** एवं विधिक सेवा शिविरों के आयोजन पूर्व तैयारियों के संबंध में शिविर आयोजन का स्थान, दिनांक, थीम तथा राजकीय विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित करना व संबंधित विभाग, स्टेकहोल्डर्स, पीएलवी एवं एन.जी.ओ. का सहयोग लेने इत्यादि के संबंध मे पूर्वानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (सुलभ संदर्भ हेतु मॉडल स्कीम की प्रति संलग्न है)

नालसा (विधिक सेवा शिविर) मॉडल स्कीम के तहत आयोजित होने वाले विधिक सेवा शिविर के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. प्रत्येक जिले में विधिक सेवाएं शिविर 06 माह के अन्तराल से अर्थात वर्ष में दो विधिक सेवाएं शिविर कार्य योजना के अनुसार आयोजित किये जायें। यहां यह भी निवेदन है कि जयपुर जिले में जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला न्यायक्षेत्र व जोधपुर जिले में जोधपुर महानगर एवं जयपुर जिला न्यायक्षेत्र स्थित है, जयपुर महानगर एवं जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में शहरी आबादी अधिक होने के कारण राजकीय लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या चिन्हित करना मुश्किल होने से इन न्यायक्षेत्रों के लिए वर्ष में एक–एक विधिक सेवाऐं शिविर आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

2. संबंधित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवाएं शिविर आयोजन की प्रस्तावित तिथि शिविर आयोजन से पूर्व राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित करवाई जायेगी।

3. प्रत्येक विधिक सेवाएं शिविर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा मनोनीत अधिकारी भाग लेंगे।

4. विधिक सेवाएं शिविर में भौगोलिक स्थिति एवं मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मितव्ययता के साथ व्यय किया जायेगा।

5. विधिक सेवाएं शिविर में राशि अधिनियम की धारा 4(सी) में आवंटित फण्ड राशि से व्यय की जायेगी।

नालसा (विधिक सेवा शिविर) मॉडल स्कीम के तहत विधिक सेवा शिविर आयोजन के संबंध में **माहवार कलेण्डर** निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

माह जनवरी

1. अजमेर	2. अलवर	3. बालोतरा	4. बारां	5. बांसवाडा	6. भरतपुर

माह फरवरी

1. भीलवाडा	2. बीकानेर	3. बून्दी	4. चुरू	5. चितौडगढ	6. दौसा

माह मार्च

1. धौलपुर	2. डूंगरपुर	3. गंगानगर	4. हनुमानगढ	5. जयपुर जिला

माह अप्रैल

1. जैसलमेर	2. जालोर	3. झालावाड	4. झुंझुंनु	5. जोधपुर जिला

माह मई

1. कोटा	2. करौली	3. मेडता	4. पाली	5. प्रतापगढ	6. राजसमंद

माह जून

1. सवाईमाधोपुर	2. सीकर	3.,सिरोही	4. टोंक	5. उदयुपर

माह जुलाई

1. अजमेर	2. अलवर	3. बालोतरा	4. बारां	5. बांसवाडा	6. भरतपुर
7.जयपुर महानगर	8.जोधपुर महानगर				

माह अगस्त

1. भीलवाडा	2. बीकानेर	3. बून्दी	4. चुरू	5. चितौडगढ	6. दौसा

माह सितम्बर

1. धौलपुर	2. डूंगरपुर	3. गंगानगर	4. हनुमानगढ	5. जयपुर जिला

माह अक्टुबर

1. जैसलमेर	2. जालोर	3. झालावाड	4. झुंझुंनु	5. जोधपुर जिला

माह नवम्बर

1. कोटा	2. करौली	3. मेडता	4. पाली	5. प्रतापगढ	6. राजसमंद

माह दिसम्बर

1. सवाईमाधोपुर	2. सीकर	3. सिरोही	4. टोंक	5. उदयुपर

अतः अनुरोध है कि आपके न्यायक्षेत्र मे उपरोक्तानुसार कलैण्डर के मुताबिक विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जाना एवं शिविर आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट मय फोटो ग्राफ्स, पेपर कटिंग इत्यादि इस कार्यालय को तीन योम मे प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- स्वीप शीट।

भवदीय,

10/4/18

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक 1468-1473 दिनांकः 10.04.2018

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
5. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

10.4.18.
संयुक्त सचिव